समाचार संक्षेप

अवैध उत्खनन के आरोपियों को मंत्री का संरक्षण, मुख्यमंत्री उन्हे पद से हटाए-कांग्रेस

भोपाल / इंदौर 13 जनवरी (ए)। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि इंदौर जिले के महू रेंज के बडगोंदा वन परिक्षेत्र में विगत रविवार को वन क्षेत्र में अवैध रूप से उत्खनन व वन परिक्षेत्र क्षेत्र में बिना स्वीकृति मार्ग बनाने के मामले मे कार्यवाही के तहत जब्त जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली को वन परिसर बड़गोंदा में खड़ा किया गया था। सलुजा ने कहा कि अवैध उत्खनन का आरोपी को मंत्री उषा ठाकुर का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है इसलिए उन्होंने अपने जब्त वाहन छुड़ाने के लिए पहले मंत्री के नाम पर खूब दबाव बनाया और बलपूर्वक वन परिसर से शासकीय कार्य में बाधा डाल कर उक्त जेसीबी व ट्रैक्टर ट्राली को छुड़ाकर ले गये। मामले को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर की भूमिका सामने आने पर मुख्यमंत्री तत्काल उन्हें पद से हटाए ।

कितनी बार योजनाओं की रीपैकेजिंग करेगी मध्य प्रदेश सरकार : भूपेन्द्र गुप्ता

भोपाल 13 जनवरी (ए)। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने आदिवासी अंचलों में गैर पंजीकृत साहूकारों के कर्ज माफकरने की घोषणा पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे महज योजनाओं की रिपेकेजिंग बताया है। गुप्ता ने कहा कि 1996 में बने 'पेसा कानून' के संदर्भ में 2004 में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार कानूनी परिवर्तन पूर्व में ही कर चुकी है ।इन कानूनों के अंतर्गत इस तरह की साहूकारी के खिलाफएसडीएम को सूमोटो मुकदमे दर्ज करने के अधिकार दे चुकी है। कमलनाथ सरकार भी इस फैसले को लागू करने के निर्देश दे चुकी है तथा इस कानून के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए 2016 में मध्य प्रदेश सरकार जमशेदपुर में पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। जिसे लेने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव जमशेदपुर गए थे ।नाम बदलकर योजना की नयी घोषणा से आदिवासी समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

शराब माफियाओं का कहर जारी है मध्यप्रदेश में - कमलनाथ

भोपाल, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं का कहर जारी है और मुरैना जिले की घटना से यह साबित होता है। श्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि पहले उज्जैन जिले में 16 लोगों की जानें गयीं और अब मुरैना जिले में शराब माफिया ने 10 लोगों की जान ली है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया है कि शराब माफिया आखिर कब तक इस तरह लोगों की जान लेता रहेगा। श्री कमलनाथ ने बीमारों को समुचित इलाज कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में माफियाओं के हौंसले बुलंद हैं। राज्य सरकार की कार्रवाई दिखावटी है और बड़े माफिया अब भी निर्भीक होकर अपने कार्य अंजाम दे रहे हैं।

प्रभारी कार्यपालन यंत्री को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

भोपाल, 13 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विभाग का प्रभार लेते ही मुरैना जिले के सबलगढ़ में नहर के क्षति ग्रस्त होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की अद्यतन रिपोर्ट मुरैना कलेक्टर से मांगी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्री श्री सिलावट ने मुख्य अभियंता जल संसाधन को सख्त निर्देश देते हुए इस लापारवाही की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग ने सबलगढ़ मुरैना के प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्रीवास्तव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर 15 दिन में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। कोटा बैराज राजस्थान से नहर में पानी छोड़ने के कारण मुरैना सबलगढ़ की नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी जिससे खेतो में पानी भर गया था और आगे खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा था। आज नहर की मरम्मत कर ली गई है और खेतों को पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई है। जल संसाधन ने प्रदेश की सभी नहरों की वर्तमान स्थिति और उनकी ऑडिट रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है।

राज्य प्रारम्भिक परीक्षा -2019 में आरक्षण व्यवस्था को लेकर नोटिस

इंदौर, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को नोटिस जारी कर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2019 के घोषित परिणाम में आरक्षण व्यवस्था को लेकर दायर एक याचिका पर जवाब तलब किया। न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला की युगलपीठ ने एमपीपीएससी को आज नोटिस जारी किया है। युगलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता किशोर चौधरी ने याचिका दायर कर कहा है कि एमपीपीएससी के द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया था। जिसके हाल ही में घोषित परीक्षा परिणाम घोषित किये गए हैं। याचिका में एमपीपीएससी पर आरोप लगाया गया है कि अनारक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों के बराबर नंबर लाने वाले आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थियों को अनारक्षित वर्ग में स्थान नहीं दिया गया है। जिससे उनके अनारक्षित वर्ग में किसी भी वर्ग के परीक्षार्थी को शामिल करने के संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन किया गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए 500 करोड़ की मंजूरी

भोपाल, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए राशि 500 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें परियोजना स्वीकृति के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रस्तावों की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है। 10 लाख रूपये तक की अनुदान सहायता वाले प्रोजेक्ट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति रहेगी। अर्न्तविभागीय मंत्री सक्षम समूह 10 लाख रूपये से अधिक की स्वीकृति दे सकेगा।

यह योजना कलस्टर एप्रोच के साथ 'एक जिला एक उत्पाद' पर आधारित है। निजी इकाइयों को 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख क्रेडिट लिंक अनुदान मिलेगा। एफ.पी.ओ./एस.एच.जी./कॉपरेटिव को पूंजी निवेश, प्रशिक्षण एवं विपणन पर 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक अनुदान (न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़) रहेगा। एसएचजी को सीड केपिटल 40 हजार प्रति सदस्य दी जायगी। ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में सहायता दी जायेगी।मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 304 (बी) के परन्तुक के अनुसरण में विधेयक को विधान सभा में पुरः स्थापित करने के पहले राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त एवं विधान सभा से पारित कराने की सभी कार्यवाही के लिए राजस्व विभाग को अधिकृत किया। पूर्व में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम 2020 के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ऋण ग्रस्तता से राहत के लिए उपबंध किये गये हैं। मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 में भी समान प्रकार के उपबंध है जो विधेयक में प्रस्तावित किये गए है। ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों (राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को छोड़कर) को, नियमों व प्रक्रिया के विरूद्ध तथा अत्यन्त ऊँची ब्याज दरों पर दिये गये ऋण की समस्या का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। इसका परिणाम ऐसे व्यक्तियों की वित्तीय हानि, मानसिक प्रताड़ना तथा शोषण के रूप में निकलता है। ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा छोटे किसानों को 15 अगस्त 2020 तक उन्हें दिए गए कतिपय ऋणों, जिनमें ब्याज की राशि शामिल है, के उन्मोचन द्वारा राहत देने के लिए मध्यप्रदेश ग्रामीण (सीमान्त व छोटे किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक) ऋण विमुक्ति विधेयक,2020 प्रस्तावित किया गया है।

आम जनता ही मेरी भगवान है, उसकी सेवा में कसर नहीं छोड़ेंगे: शिवराज

उज्जैन, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि जनता उनके लिए भगवान है और उनकी सेवा में राज्य सरकार द्वारा कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने यहां 100 दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्रायसिकल बांटी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता ही मेरे लिए भगवान है। जनता की सेवा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही आमजन को तकलीफ पहुंचाने वाले भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विरूद्ध निरन्तर कार्यवाही की जायेगी। उन्हें छोड़ा नहीं जायेगा।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों ने भारत माता, पं.दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानन्द के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया। मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवाचार करते हुए दिव्यांगजन का सम्मान किया। श्री चौहान ने कहा कि उन्हें साफा बांधने और पुष्पगुच्छ भेंट करने की बजाय दिव्यांगजन का सम्मान करें। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने स्थान पर किसी एक दिव्यांगजन का सम्मान साफा बांधकर और माला पहनाकर करना उचित समझते हैं।ट्रायसिकल वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरन्तर सख्त कार्यवाही करने और शासकीय जमीन को उनके कब्जे से मुक्त करवाने पर उज्जैन प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उज्जैन प्रशासन द्वारा लगातार इस दिशा में कार्यवाही करने पर वे प्रशासन को बधाई देते हैं। शासकीय जमीनों को असामाजिक तत्वों से मुक्त करवाने का काम प्रशंसनीय है। ये जमीनें किसी परियोजना में आमजन के ही उपयोग में लाई जाएँगी। मुख्यमंत्री ने सभी दिव्यांगजन को ट्रायसिकल मिलने पर बधाई दी।

मुख्यमंत्री की भू-माफिया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी

✷ आमजन को तकलीफ पहुँचाई तो छोड़ा नहीं जायेगा

उज्जैन 13 जनवरी (ए)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर उज्जैन में ट्रायसिकल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने भू-माफिया और असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि आमजन को तकलीफपहुँचाने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही की जायेगी, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। मुख्यमंत्री ने भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरन्तर सख्त कार्यवाही करने और शासकीय जमीन को उनके कब्जे से मुक्त करवाने पर उज्जैन प्रशासन की प्रशंसा भी की। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आम जनता ही मेरे भगवान है और उसकी सेवा में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होने सांसद अनिल फिरोजिया द्वारा दिव्यांगजनों को बैटरी-चलित ट्रायसिकल उपलब्ध कराये जाने पर कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को तकलीफ पहुँचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द कहते थे नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस दौरान चौहान ने कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को साफा बाँधा और पुष्प-गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान भी किया।

100 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्रायसिकल वितरित

सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि जिन दिव्यांगजनों के मन में यह सपना था कि उन्हें ट्रायसिकल प्राप्त हो, ताकि वे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकें, उनका सपना आज मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पूरा किया जा रहा है।

इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद महेन्द्र सिंह सिसौदिया और विधायक पारस जैन उपस्थित थे।

शिवराज ने उज्जैन को दी पांच सौ करोड़ की सौगात

उज्जैन, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज यहां 500 करोड़ लागत की श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी प्रदान कर बड़ी सौगात दी है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों, छोटे-मोटे धंधे करने वाले व्यक्तियों का भी विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने योजना के विभिन्न घटकों का नामकरण उज्जैन की परम्परा एवं संस्कृति के आधार पर करने के लिये कहा। मुख्यमंत्री ने देश एवं विदेश में इस तरह के निर्माण कार्यों में जहां-जहां अच्छे प्रयोग हुए हैं, उनका अनुकरण करने को कहा।

श्री चौहान ने योजना के तहत अन्नक्षेत्र एवं प्रवचन हॉल और धर्मशाला के लिये स्थान चिन्हित करने के लिये कहा। उन्होंने कहा कि नये प्रवचन हॉल, धर्मशाला आदि का जैसे-जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ता जाये, वैसे-वैसे पुराने निर्माण हटाये जायें। मुख्यमंत्री ने रूद्रसागर में किये जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, स्कूल शिक्षा एवं सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग, उज्जैन-आलोट सांसद अनिल फिरोजिया, देवास सांसद महेन्द्र सिंह सिसौदिया, विधायक पारस जैन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री महाकाल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत परियोजना के क्रियान्वयन से श्री महाकालेश्वर मन्दिर का क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति से 8 से 10 गुना बढ़ जायेगा। प्रजेंटेशन में बताया गया कि प्रथम चरण में महाकाल प्लाजा, महाकाल कॉरिडोर, मिडवे झोन, महाकाल थीम पार्क, घाट एवं डेक एरिया, नूतन स्कूल कॉम्पलेक्स, गणेश स्कूल कॉम्पलेक्स, पार्किंग, धर्मशाला, प्रवचन हॉल एवं अन्नक्षेत्र का निर्माण होगा।

द्वितीय चरण में महाराजवाड़ा, रूद्र सागर जीर्णोद्धार, छोटा रूद्र सागर लेक फ्रंट, रामघाट का सौन्दर्यीकरण, पार्किंग एवं पर्यटन सूचना केन्द्र, हरिफाटक पुल का चौड़ीकरण एवं रेलवे अण्डरपास तथा रूद्र सागर पर पैदल पुल, महाकाल द्वार, बेगमबाग मार्ग का विकास, रूद्र सागर पश्चिमी मार्ग तथा महाकाल पहुंच मार्ग का उन्नयन किया जायेगा। महाकाल कॉरिडोर के तहत प्रथम घटक में पैदल चलने के लिए उपयुक्त 200 मीटर लम्बा मार्ग बनाया जायेगा। लोटस पोंड, ओपन एयर थिएटर तथा लेकफ्रंट एरिया और ई-रिक्शा व आकस्मिक वाहनों के लिए मार्ग तैयार होगा। मिडवे झोन के अन्तर्गत पूजन सामग्री की दुकानें, फूडकोर्ट, लेकव्यू रेस्टोरेंट, लेकफ्रंट डेवलपमेंट, जनसुविधाएं, टॉवर सहित निगरानी एवं नियंत्रण केन्द्र की स्थापना होगी। महाकाल थीम पार्क के अन्तर्गत महाकालेश्वर की कथाओं से युक्त म्युरल वाल, सप्त सागर के लिए डेक एरिया तथा डेक के नीचे शापिंग क्षेत्र, बैठक क्षेत्र सुविधाएं विकसित होंगी।

इसी तरह त्रिवेणी संग्रहालय के समीप कार, बस व दोपहिया वाहन की पार्किंग बनेगी।

चौबीस घंटे निगरानी लेकिन प्रदूषण रोकने का कोई प्रयास नहीं

भोपाल 13 जनवरी (ए)। राजधानी भोपाल की हवा प्रदूषित न हो, इसके लिए चौबीस घंटे मॉनीटरिंग की जा रही है। टीटी नगर थाना परिसर में स्टेशन है। तब भी हवा साफ नहीं हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच रहा है हालांकि बारिश के चलते इंडेक्स में गिरावट आई है लेकिन यह स्थाई नहीं होगी। बीते सप्ताह भोपाल व मंडीदीप में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया था कि 50 तक या उससे नीचे होना चाहिए। तभी हवा साफ मानी जाती है। प्रदूषण कम करने के लिए स्थाई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। 32 जिलों में महीने में आठ दिन वायु प्रदूषण की जांच करने की तैयारी की जा रही है। फरवरी 2021 से यह जांच शुरु कर दी जाएगी। अभी इन जिलों में महीने में एक दिन जांच होती है। वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सिंगरौली, उज्जैन समेत कई जिलों मं हवा की सेहत ठीक नहीं है प्रदूषण का यह स्तर निर्धारित से बढ़ा हुआ है।

भोपाल में कोरोना वेक्सिनेशन की तैयारियां जोरों पर

भोपाल, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरे देश में 16 जनवरी से शुरू होने वाले पहले चरण के वेक्सीनेशन के तहत भोपाल में भी वैक्सीन लगाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

कलेक्टर श्री लवानिया ने इस संबंध में कल आयोजित समीक्षा बैठक कहा कि वैक्सिनेशन में सभी प्रकार की शंका दूर करने और प्रशिक्षण के लिए 2 दिन का विशेष सत्र होगा। इसमें प्रश्नों के जवाब देने के लिए जूम पर भी प्रशिक्षण दिया जाएंगा। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले लोगों और वालिंटियर को कोई भी समस्या नहीं आए, इसके लिए समस्त जानकारी उपलब्ध रहेगी। केंद्र से मिलने वाली गाइडलाइन के अनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर वैक्सिनेशन का ड्राय रन शेष हैं, वहाँ सीएमएचओ के निर्देशन में ड्राय रन कराए जाएं।बैठक में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि भोपाल में 80 जगहों (हॉस्पिटल) को वैक्सीनेशन करने के लिए चिन्हांकित किया गया है। इन सभी वैक्सीन सेंटर पर 126 सेशन प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें 30 हजार स्वास्थ कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होगा। यह प्रक्रिया 3 से 5 दिन मे पूरी होगी। इसके लिए सभी स्वास्थकर्मियो का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। कोल्ड स्टोरेज जेपी हॉस्पिटल में किया जाएगा, जहाँ से सभी 80 चिन्हित जगहों पर वैक्सीन भेजी जाएगी। शासकीय अस्पतालों के साथ ही निजी चिकित्सालय, एम्स और रेलवे के अस्पतालों में वैक्सिन लगाई जायेगी। स्मार्ट सिटी में कंट्रोल रूम स्थापित के माध्यम से सभी स्वास्थ कर्मचारियों को एसएमएस किए जायेंगे। सभी जगह एक साथ इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। एक दिन में 8 से 10 हजार लोगों का वैक्सीन लगाए जाने की तैयारी की गई है।उन्होंने बताया कि वैक्सीन को आइस बॉक्स में ले जाया जाएंगा। वैक्सीनेटर की ट्रेनिग शुरू हो गई है। सभी स्वास्थकर्मियों के बाद फ्रंट लाइन वर्कर और उसके बाद दूसरे लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी।

एक सेंटर पर लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। वैक्सीनेशन के पहले चरण में अवकाश के दिन वैक्सीन नहीं लगाई जायेगी।

वैक्सीनेशन का पहला चरण 16, 18, 20 और 23 को सम्पन्न किया जाएगा। वेक्सीनेशन की प्रक्रिया सभी स्थानों पर 5 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में एसएमएस और आईडी की जांच होगी। उसके बाद पहचान पत्रो की जांच , वैक्सीन लगाया जाना, 30 मिनिट का ऑब्जर्वेशन में रखा जायेगा। इसके बाद लोगों को घर जाने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के वैक्सीनेशन के बाद दूसरे फ्रंट लाइन कर्मचारी और उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगेगा।

प्रदेश में 16 जनवरी से 302 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया होगी शुरू

भोपाल, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज गांधी मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेन्टर पर आकर वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं और प्रक्रिया का जायजा लिया। श्री सारंग ने इस दौरान डीन और अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रदेश में 302 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जायेगी। प्रथम चरण में लगभग साढ़े 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें हेल्थ वर्कर्स, कोरोना वारियर्स और 50 साल के ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जायेगी। निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रोटोकाल का ध्यान रखते हुए यह कार्य किया जायेगा।

श्री सारंग ने कहा कि राजधानी में 2 जनवरी और बाकी शेष 51 जिलों में 8 जनवरी को ड्राय रन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। निर्देशानुसार कोल्डचेन डेव्हलप कर स्टोरेज एवं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नियत तापमान पर एण्ड पाइन्ट तक वैक्सीन को पहुँचाने तक की निर्धारित प्रक्रिया की समीक्षा हो चुकी है। बुधवार को वैक्सीन प्राप्त होने की संभावना है। केन्द्र सरकार के कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी किया जायेगा।

वैक्सीन लगवाने वाले को आधा घंटा आब्जर्वेशन में रखा जायेगा। किसी प्रकार की परेशानी आने पर फर्स्ट एड के तौर पर बेड, एम्बुलेन्स और डॉक्टर्स की टीम उपलब्ध रहेगी। उन्होंने ड्यूटी के दौरान तैनात डॉक्टर्स के नम्बर डिसप्ले बोर्ड पर लगवाने के निर्देश भी दिये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वैक्सीन कोरोना की लड़ाई में कारगर साबित होगी। एक सेन्टर पर 100 वैक्सीन लगाने की तैयारी है। दूसरा डोज 28 दिन बाद लगाया जायेगा।

भारतीय सेना के अप्रतिम शौर्य को सेल्यूटः मिश्रा

भोपाल, 13 जनवरी (ए) मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि भारत-पाक के 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50वें वर्ष को हम स्वर्ण-जयंती वर्ष के रूप में मनाकर गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। स्वर्णिम विजय-वर्ष में देश-भर में स्वर्णिम विजय मशाल युवाओं में देशभक्ति का जुनून जवां कर रही है।

श्री मिश्रा ने शौर्य-स्मारक पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में स्वर्ण जयंती मशाल का सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के उस अप्रतिम शौर्य को हम सेल्यूट करते हैं, जिसकी बदौलत पाकिस्तान की सेना को 13 दिन में घुटने टेकने और 93 हजार पाक सैनिकों को आत्म-समर्पण के लिये मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान पर वर्ष 1971 में हुई विजय के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण-जयंती समारोह में सेना के श्री ईएमई के जैज, ब्रॉस और 11 महार रेजीमेंट के पाइप बैण्ड की धुनों ने शौर्य स्मारक के सम्पूर्ण परिवेश को देशभक्तिमय कर दिया। बैण्ड की धुन पर मंगल-गान, वंदे मातरम्, जय हो, माँ तुझे सलाम, ऐ मेरे वतन के लोगों, कदम-कदम बढ़ाये जा और युद्ध के समय बजाए जाने वाले बिगुल की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियाँ दीं।समारोह में 1971 के भारत-पाक युद्ध में सम्मिलित हुए मध्यप्रदेश के 24 बहादुर जवान भी मौजूद थे।

न्यायालय तहसीलदार बीजापुर, जिला-बीजापुर (छ.ग.)

रा.प्र.क्र./01/अ-19(2)/2018-19
बीजापुर पटवारी हल्का पटवारी नंबर - 13

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पटवारी हल्का नम्बर -13 बीजापुर स्थित शासकीय आबादी मद् की भूमि खसरा नंबर 179/1 रकबा 6.913 हेक्टेयर में से रकबा 0.012 हेक्टेयर भूमि पद्मशाली सेवा समिति सामाजिक भवन हेतु भूमि आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति दावा आपत्ति पेश करना हो वह स्वयं अथवा अपने किसी अभिभाषक के माध्यम से पेशी दिनांक 28/01/2021 के पूर्व न्यायालय तहसीलदार बीजापुर में पेश कर सकते है। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति विचारणीय नहीं होगी।

आज दिनाँक 14/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित जारी की गई।

सील

तहसीलदार
बीजापुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1 जगदलपुर

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक/132/17/वलेलि/2020-21 जगदलपुर दिनांक, 09.01.2021

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	निविदा क्र.	ठेके की अनुमानित लागत (लाख में)	कार्य का नाम
1	2	3	4
1	T0110 to t0112	प्रत्येक कार्य रू. 50.00	जगदलपुर उपसंभाग क्रमांक 1 के उपखण्ड क्रमांक 1, 02 एवं 03 अंतर्गत सड़कों/पुल पुलियों एवं मध्यम पुल के पहुँच मार्गो का बी.टी. कार्य एवं विशेष मरम्मत, लघुमूल गौण कार्य एवं जमा कार्य

नोट :-

निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.01.2021
उपरोक्त निविदा की जानकारी विभागीय वेब पोर्टल www.cg.nic.in/pwdraipur में भी अवलोकन किया जा सकता है।
ऑनलाईन से डाउनलोड किया गया निविदा फार्म को प्रेषित करने पर मान्य नही किया जावेगा, इस कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा फार्म हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर ही निविदा फार्म प्रदाय किया जावेगा।

अन्य विवरण एवं शर्ते कार्यालयीन दिवस में लोक निर्माण विभाग उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक 1 जगदलपुर के कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (भ/स) उ.ब. संभाग क्र. 1
जगदलपुर

जी-86294/3

पूर्व तट रेलवे
निर्माण कार्य

ई-निविदा सूचना सं. ETCPMIVSKP2021001, दिनांक : 06.01.2021

कार्य का नाम : जगदलपुर-कोरापुट दोहरीकरण प्रोजेक्ट : पूर्व तट रेलवे, वाल्टियर मण्डल के KK लाइन के माल्लिगुड़ा - जरति - मानाबार सेक्शन (प्रस्तावित सुरंग अंश को छोड़कर) में फर्मेशन (Formation) में मिट्टी कार्य, छोटे पुल का निर्माण तथा अन्य जुड़े कार्य का निष्पादन।

कार्य की आकलित लागत (रुपये में) : ₹ 8743.89 लाख, **EMD** (रुपये में) : 45,22,000/-, निविदा दस्तावेज की लागत (रुपये में) : शून्य, कार्य पूरा होने की अवधि: 24 (चौबीस) महीने।

निविदा बंद होने की तिथि व समय : दिनांक : 08.02.2021 को 1200 बजे।

ऐसी ई-निविदाओं के तहत डाक/कूरियर/फैक्स या व्यक्तिगत रूप से भेजा गया कोई भी मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जायेगा, भले ही यह फर्म (Firm) के लेटर हेड एवं नियत समय पर प्राप्त किया गया हो। ऐसे सभी मैनुअल प्रस्ताव को अवैध माना जायेगा तथा उसके बारे में किसी विचार के बिना तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त ई-निविदा के ई-निविदा दस्तावेज सहित संपूर्ण जानकारी वेबसाइट : **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। प्रत्याशित निविदाकारों को यह सलाह दी जाती है कि इस ई-निविदा के लिए जारी किसी भी परिवर्तन/ शुद्धिपत्र की ओर ध्यान देने के लिए वे निविदा बंद होने की अंतिम तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पहले वेबसाइट का पुन: अवलोकन करें।

निविदाकारों को उनके लिए दिये गये सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित और हस्ताक्षरित अनुलग्नक -C/G एवं G1 जमा करने साथ, निविदा दस्तावेज के चैप्टर 2 के अनुलग्नक-I, निविदा फॉर्म (द्वितीय शीट) की जाँच सूची, पैरा 3.1 (अतिरिक्त जाँच सूची) सहित सभी निर्देशावली का अनुपालन करना चाहिए।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण)/ भुवनेश्वर

PR-83/CD/20-21